माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0 कैम्प रीवा ।

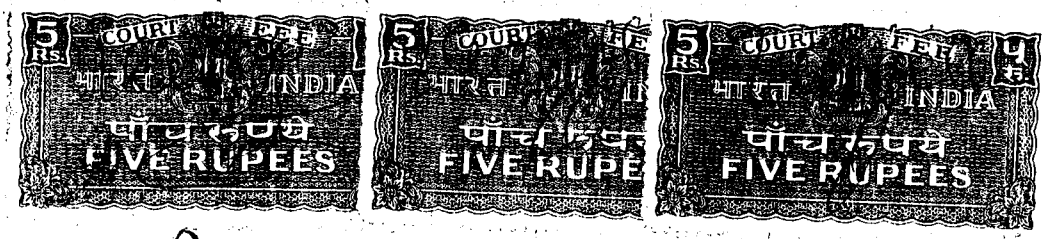

A - 385-II/2001.

1. सम्पति कुमार पिता सरजू
2. बंशरम पिता रामाश्रय
3. दुरपतिया पुत्री रामसिया
4. रामनारायण पिता बृजभान
5. अभिमान पिता बृजवासी

सभी निवासी ग्राम कुड़वा, तहसील- रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0 ।

---------- अपीलार्थी/आवेदक गण ।

बनाम

1. रामराजीवन पिता काशीनाथ
2. राजभान पिता काशीनाथ
3. मु0 कलावती पुत्री काशीनाथ
4. फुलवसुआ पत्नी रामसुन्दर
5. भूपेन्द्र पुत्र रामसुन्दर
6. रामभुवन पिता रामसुन्दर
7. सन्तोष पिता रामसुन्दर

समस्त निवासी ग्राम कुड़वा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म.प्र. ।

8. ललुआ पिता रामसुन्दर, नाबालिग जरिए वली माँ फुलवसुआ

------ उत्तरवादी/अना0

9. रामशरण पिता रामसखा
10 तेजभान पिता रामसखा
11. बृजवासी पिता रामसखा
12. बृजलाल पिता बैजनाथ
13. भगवानदीन पिता बैजनाथ
14. राजेन्द्र पिता बैजनाथ

समस्त निवासी ग्राम कुड़वा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा - म0प्र0 ।

------- रेस्पा0/आवेदक गण ।

प्रथम अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा (श्री भानु प्रकाश-सिंह, रा.प्र.क्र. 33/पुनर्स्थापना/2000-2001, आदेश दिनांक 19.1.2001.

अपील अन्तर्गत धारा - 35(4) म.प्र.भू.रा. संहिता - 1959 ई० ।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-06-17	उभय पक्ष के अभिभाषकों के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुका हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 33रु2000-01 पुर्न. में पारित आदेश दिनांक 19-1-2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को अनुसार तथा उपलब्ध अभिलेख अनुसार वस्तुस्थिति यह हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील क्रमांक 564/1991-92 प्रस्तुत की थी, जिसे अपीलार्थीगण एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर आदेश दिनांक 2-11-2000 को निरस्त कर दी गई। अपीलार्थीगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत अदम पैरबी आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन दिनांक 1-1-2001 प्रस्तुत किया जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19-1-2001 से अमान्य कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3/ उपरोक्त पद 2 में दिये गये विवरण एंव अपील मेमो में अंकित तथ्य तथा अपंर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 33/2000-01 पुर्न. के अवलोकन पर स्थिति यह है कि पेशी 2-11-2000 को अपीलार्थी के	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 385—दो / 2001 अपील

जिला— रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त किया गया तथा दिनांक 1-1-2001 को अर्थात लगभग 59 दिवस के अंतर से आवेदन आने पर पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया गया है जबकि पुर्नस्थापन आवेदन हेतु 30 दिवस की समयावधि नियत है। इस प्रकार लगभग 29 दिवस के विलम्ब को अपर आयुक्त ने क्षमा नहीं किया है जबकि अपीलार्थीगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण दर्शाया है। न्यायदान की दृष्टि से माना गया है कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये तथा मामले में गुणागुण पर विचार कर न्यायगत निर्णय देना चाहिये, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में म्याद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने भलीभाँति विचार नहीं किया है तथा न ही आदेश दिनांक 19-1-01 में तथ्यों की विवेचना की है कि उन्होंने म्याद अधिनियम के आवेदन में दिये गये विवरण को क्यों सही नहीं माना है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 19-1-2001 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 33/2000-01 पुर्न. में पारित आदेश दिनांक 19-1-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपील आँशिक रूप से स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपील कमांक	

A-385-II/2001 रीवा

564/1991-92 को पुर्नजीवित करते हुये समस्त हितबद्व पक्षकारों को विधिवत् सूचना जारी करें तथा अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त कर मामले का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

सदस्य